प्रेस नोट

दिनांक 22.06.2025

परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुए राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 01 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत ,महिला थाना प्र0नि0अनीता यादव, श्री गंगाधर शुक्ल, श्री शशि भारती, श्रीमती उमा सिंह, श्री राज मंगल मौर्य, म0आ0 ज्योति राजभर ,म0आ0 नेहा सिंह आदि उपस्थित रही।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.06.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा चोरी करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-278/2025 धारा 303(2), 317(2)/317(5) से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों-01. अंकित उर्फ विजय पुत्र जुगनू निवासी कठईया थाना कोतवाली मनकापुर, 02. बाल किशुन पुत्र रुपे यादव निवासी सोनारपुरवा थाना मनकापुर, 03. ओमकेश्वर पुत्र मुक्तिनाथ पाण्डेय निवासी झिलाही बाजार थाना मनकापुर को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 05 अदद लोहे के गेट बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.06.2025 की रात्रि में ग्राम जैदवा, थाना मनकापुर स्थित कम्पोजिट विद्यालय, ए.एन.एम. सेन्टर एवं कूड़ाघर के मुख्य लोहे के गेट अज्ञात चोरों द्वारा काटकर चोरी कर लिया गया था। चोरी गए गेटों में विद्यालय का गेट हरे रंग का तथा शेष दोनों गेट काले रंग से पेंट थे। ग्राम प्रधान सुमन पत्नी रामअचल की तहरीर पर थाना मनकापुर में अज्ञात चोरो के विरूद्ध सुसंगत धारओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 22.06.2025 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा कसैला रोड स्थित गन्ना क्रय केंद्र के पास दबिश देकर दो अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर चोरी का माल बेचने वाले तीसरे अभियुक्त ओमकेश्वर को भी गिरफ्तार किया गया तथा कुल 05 अदद लोहे के गेट बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अंकित उर्फ विजय पुत्र जुगनू निवासी कठईया थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. बाल किशुन पुत्र रुपे यादव निवासी सोनारपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. ओमकेश्वर पुत्र मुक्तिनाथ पाण्डेय निवासी झिलाही बाजार थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 278/2025 धारा 303(2), 317(2)/317(5) बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 05 अदद लोहे के गेट।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उपनिरीक्षक प्रेमचन्द्र चौबे
02. हे0का0 प्रभाकर चौधरी
03. हे0का0 संदीप यादव
04. हे0का0 राजू सिंह
05. का0 सत्यवीर सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.06.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 548/2024, धारा 419,420,467,468,471,120 बी भादवि से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों-01. गोविन्द उर्फ राजू पुत्र गन्ने निवासी पंडितपुरवा, बभनी कानूनगो गिर्द, थाना कोतवाली नगर, हाल पता - सब्जी मंडी उत्तरौला रोड, 02.सियाराम वर्मा पुत्र चन्द्रिका प्रसाद वर्मा निवासी पंडितपुरवा, पूरे काशीराम, थाना कोतवाली नगर को उनके घर में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी चन्द्रभान पुत्र स्व0 रामसमुझ नि0 ग्राम पण्डित पुरवा पूरेकाशीराम मौजा गिर्द गोण्डा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनके चचेरे भाई गोविन्द पुत्र गन्ने विगत 30 वर्षों से लापता हैं और उनकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बावजूद कुछ अज्ञात एवं विपक्षी व्यक्तियों ने फर्जी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज तैयार कर गोविन्द के नाम से भूमि गाटा संख्या-600, ग्राम गिर्द गोण्डा ग्रामीण को हड़पने का षड्यंत्र किया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक फर्जी बैनामा व इकरारनामा तैयार कर संपत्ति का अवैध हस्तांतरण किया गया। पूर्व में गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा गोविन्द के लापता होने की पुष्टि की जा चुकी है। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में 04 नामजद आरोपी अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें आज दिनांक 22.06.2025 को थाना को0 पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. गोविन्द उर्फ राजू पुत्र गन्ने निवासी पंडितपुरवा, बभनी कानूनगो गिर्द, थाना कोतवाली नगर, हाल पता - सब्जी मंडी उत्तरौला रोड, 02.सियाराम वर्मा पुत्र चन्द्रिका प्रसाद वर्मा निवासी पंडितपुरवा, पूरे काशीराम, थाना कोतवाली नगर को उनके घर में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. गोविन्द उर्फ राजू पुत्र गन्ने निवासी पंडितपुरवा, बभनी कानूनगो गिर्द, थाना कोतवाली नगर, हाल पता - सब्जी मंडी उत्तरौला रोड।

02. सियाराम वर्मा पुत्र चन्द्रिका प्रसाद वर्मा निवासी पंडितपुरवा, पूरे काशीराम, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-548/2024, धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 डिग्री प्रसाद गौतम।

02. हे0का0 प्रदीप चौधरी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.06.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा बलवा एवं जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-226/2025 धारा 191(2),115(2),352,351(3),117(2), 324(4)109 बीएनएस तथा 7 सी0एल0ए0 से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों-01. रामकरन पुत्र रामदुलारे, 02. सन्तोष कुमार पुत्र रामदुलारे, 03. शिव कुमार पुत्र श्याम लाल निवासीगण इमलिया मिश्र थाना को0 देहात गोण्डा को इमलिया मिश्र से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.05.2025 को ग्राम इमिलिया मिश्र, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा निवासी कस्तूरी लाल पुत्र घुरहू के पुत्र शिवपाल की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित प्रीतिभोज (बहुभोज) कार्यक्रम के दौरान रास्ते में कई मोटरसाइकिलें खड़ी होने के कारण पिकअप वाहन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। वादी कस्तूरी लाल द्वारा मौके पर जाकर विपक्षीगणों से वैकल्पिक मार्ग से पिकअप ले जाने का अनुरोध किया गया, परंतु विपक्षीगणों ने अनावश्यक विवाद करते हुए वादी तथा उसके परिजनों के साथ बलवा करते हुए मारपीट की गयी। इस घटना में वादी के परिजनों को गंभीर चोटें आईं। वादी की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली देहात में सुसंगत धाराओं के अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें पूर्व मे थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 04 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 22.06.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 03 आरोपी अभियुक्तों-01. रामकरन पुत्र रामदुलारे, 02. सन्तोष कुमार पुत्र रामदुलारे, 03. शिव कुमार पुत्र श्याम लाल निवासीगण इमलिया मिश्र थाना को0 देहात गोण्डा को इमलिया मिश्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रामकरन पुत्र रामदुलारे नि0 इमलिया मिश्र थाना को0 देहात गोण्डा।

02. सन्तोष कुमार पुत्र रामदुलारे नि0 इमलिया मिश्र थाना को0 देहात गोण्डा।

03. शिव कुमार पुत्र श्याम लाल नि0 इमलिया मिश्र थाना को0 देहात गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-226/2025 धारा 191(2),115(2),352,351(3),117(2),324(4)109 बीएनएस तथा 7 सी0एल0ए0 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता।

02. हे0का0 यशवंत यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.06.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा गांवों में चौपाल लगाकर बालिकाओं/महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण-

महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में किया गया जागरूक-

महिलाएं/बालिकाएं/बेटियां हो स्वावलंबी, उनकी हो सुरक्षा, हो उनका सम्मान, शासन की है महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति अभियान-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत थानों पर गठित एण्टीरोमियो टीम व बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवो में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के सम्बन्ध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है तथा रैली निकालकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन आदि अधिकारो के प्रति महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नहीं आना पडेगा अपितु शक्ति दीदी नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवो में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा।

आज दिनांक 22.06.2025 को जनपद के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारीगण (शक्ति दीदी) द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर मनचलों/शोहदों को रेड कार्ड दिया गया तथा महिलाओं और बालिकाओं से फीडबैक फार्म भरवाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से गुड टच-बैड टच की जानकारी दी गई। बच्चों को पढ़ने तथा स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया तथा बच्चों से स्कूल जाने पर रास्ते में किसी प्रकार की समस्या होने के बारे में पूछा गया थाना फीडबैक फार्म को भरवाया गया।बच्चो को बताया गया कि किसी अनजान व्यक्ति के बुलाने या बहकावे में न आए न ही कोई खाने पीने की वस्तु ले तथा बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर-1098 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा महिलाओं एवम बालिकाओं/बच्चों के प्रति हो रहे अपराधो जैसे छेड़छाड़/शोषण, बाल अपराध, एसिड अटैक, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न इत्यादि की रोकथाम हेतु

शासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों- 1090,181,102, 108,1076, 1098,1930 साइबर अपराध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।